

प्रेषक,

समयबद्ध / तत्काल / महत्वपूर्ण

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 2702/सा0-2/X।।-573(भाग-3)/2020-21 दिनांक 22-12-2020
विषय: ठंड से बचाव हेतु ऐडवाइजरी जारी करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-2245/सा0-2, दिनांक 04-11-2020 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अंतर्गत प्रदेश में स्थापित अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थलों एवं गोशालाओं में संरक्षित गोवंश को शीतऋतु से बचाव हेतु संयुक्त रूप से प्रयास किये जाने के संबंध में ऐडवाइजरी जारी की गयी थी जिससे गोशालाओं में संरक्षित 533211 लाख निराश्रित गोवंशों का ठंड से बचाव किया जा सके।

शीत ऋतु में गोवंश की देखभाल बहुत ही सावधानी और उचित तरीके से करनी पड़ेगी सर्दियों में पशुओं को ठंड लगने की आशंका रहती है जिससे पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित होता है। कुछ विन्दुओं पर कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है:-

- 1- गोशालाओं में संरक्षित गोवंशों को सर्दी से बचाने के लिये गो-आश्रय स्थलों में रात को बोरी या तिरपाल इत्यादि व ज्वार बाजरा की कर्वी एवं टांट बांधकर हवा और सर्दी से बचाव करें।
- 2- सर्दियों के दिनों में पशुओं को धूप में बांधें परन्तु ठंडी हवा से बचाव करना जरूरी है।
- 3- पशुओं के बैठने के स्थान को सूखा रखने का प्रयास करें, पुवाल या कोई नर्म सस्ती तथा पानी सोखने वाली वस्तु द्वारा पशुओं के नीचे फर्श सूखा रहे और साफ-सफाई भी आसानी से हो सके।
- 4- पशुओं को ताजा पानी ही पिलायें जो अधिक ठंडा या अधिक गर्म न हो।
- 5- पशुओं को वरसीन या अन्य हरा चारा खिलाने से पहले थोड़ा सा सूखा चारा खिलायें या वरसीन आदि के चारे को सूखे चारे में मिलाकर खिलाना चाहिए ताकि पशुओं को अफारा न हो।
- 6- सर्दियों में रात के समय सूखा चारा खिलाना लाभदायक रहता है, इससे पशुओं का तापमान संयमित रहता है।
- 7- सम्भव हो तो अलाव की व्यवस्था की जाय परन्तु यह ध्यान रखें की आग लगने की सम्भावना न हो।
- 8- समय-समय पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके आश्रय स्थलों को विसंक्रमित किया जाये।
- 9- संबंधित पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा समय-समय पर गो-आश्रय स्थलों का भ्रमण किया जाय तथा बीमार होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल चिकित्सा करायी जाये।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करें।

भवदीय,

(डा0 अरविन्द कुमार सिंह)
अपर निदेशक (गोधन विकास)

संख्या: /सा0-2/X।।-573(भाग-3)/2020-21 तददिनांक 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, पशुधन उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण पर समस्त जिलाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें।

(डा0 अरविन्द कुमार सिंह)
अपर निदेशक (गोधन विकास)